


मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय



:: आदेश ::


भोपाल, दिनांक 30/01/2017

क्रमांक एफ 9-02/2016/सत्रह/मेडि-3 :: मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना के अंतर्गत जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2016 के पृ.क्र.02 के अंतिम पैराग्राफ में कॉकिल्यर इम्प्लांट USFDA मान्यता प्राप्त प्रमाणित निर्माता का लगाये जाने का उल्लेख है, इसमें आंशिक संशोधन करते हुये अब,

"मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों को कॉकिल्यर इम्प्लांट USFDA या CE (EU) मान्यता प्राप्त प्रमाणित निर्माता का क्रय कर लगाया जाना होगा। चिकित्सा संस्था लगाये जाने वाले कॉकिल्यर इम्प्लांट का आई डी नंबर, प्रेषित देयक एवं डिस्चार्ज नंबर भी लगायेगा ताकि भविष्य में लगाये गये कॉकिल्यर इम्प्लांट की ट्रेकिंग की जा सके।"

अतः उपरोक्तानुसार अब कॉकिल्यर इम्प्लांट USFDA या CE(EU) मान्यता प्राप्त प्रमाणित निर्माता का क्रय कर मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों को लगाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


भोपाल, दिनांक 30/01/2017

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 9-02/2016/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि :


1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
2. निज सचिव, मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश (कृपया आदेश वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें)।
4. समस्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।


DD(SIAC)
DD(RBSK)
30/1/17


OS(SIAC)
30/1/17

..2

6. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, रीवा व जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, पिडियाट्रिक सर्जिकल यूनिट, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, रीवा व जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
8. उपसंचालक, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समन्वय, राज्य बीमारी सहायता योजना, संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि मान्यता प्राप्त चिकित्सालय को जारी निर्देशों से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ ।
11. समस्त सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ ।
12. समस्त जिला नोडल अधिकारी, आर.बी.एस.के., मध्यप्रदेश ।
13. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ ।
14. समस्त, जिला समन्वय आर.बी.एस.के., एन.एच.एम. मध्यप्रदेश ।
15. समस्त, प्रबंधक डी.ई.आई.सी., एन.एच.एम., मध्यप्रदेश ।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग